रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-15032023-244410 CG-MH-E-15032023-244410

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

No. 171]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसूचना

मुंबई, 14 मार्च, 2023

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2023/128.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-
 - विनियम 3 में.
 - i. उप-विनियम (2) में,

1728 GI/2023 (1)

- क. शब्दों और चिह्न "अभिहित निक्षेपागार सहभागी को सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्म में, किया जाएगा" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डीडीपी) के पास उसी फॉर्म में किया जाएगा जैसा सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए" आ जाएँगे।
- ख. शब्दों "निर्धारित फीस लगाई जाएगी" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "निर्धारित की गई फीस लगाई जाएगी तथा कोई दस्तावेज उसी प्रकार प्रस्तुत किए जाएँगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए" आ जाएँगे |

II. विनियम 22 में.

- i. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्द "तुरंत" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," आ जाएँगे |
- ii. उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,"(ग) बोर्ड और अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेज़िग्नेटिड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) को जल्द से
 जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर, लिखित रूप में सूचित करेगा, यदि उसके द्वारा बोर्ड या
 अभिहित निक्षेपागार सहभागी को पहले दी गई जानकारी में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव हो जाता
 हो (जिसमें उसकी संरचना या स्वामित्व या नियंत्रण या निवेशक समूह में प्रत्यक्ष रूप से या
 अप्रत्यक्ष रूप से हआ कोई बदलाव शामिल है);"
- iii. उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) में, शब्द "तुरंत" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," आ जाएँगे |
- iv. उप-विनियम (1) में, खंड (ट) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, "(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डीडीपी) के पास उसके
 निवेशक समूह के सही-सही विवरण हमेशा रहें | "
- v. उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,"(5) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की संरचना या समान स्वामित्व या नियंत्रण या निवेशक
 समूह में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बदलाव होने पर, वह इसकी सूचना जल्द से
 जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर, अपने अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेज़िग्नेटिड
 डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) को देगा।"
- III. विनियम 31 में, उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (ख) में, शब्द "तुरंत" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," आ जाएँगे |
 - ii. खंड (ग) में, शब्द "तुरंत" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," आ जाएँगे |
 - iii. खंड (छ) में, शब्द "तुरंत" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," आ जाएँगे |

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III / 4/असा./697/2022-23]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36 द्वारा, 23 सितम्बर, 2019 को मूल विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात् -
 - (1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/44, द्वारा
 - (2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/09, द्वारा
 - (3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - (4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 - (5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/32, द्वारा
 - (6) 26 अक्तूबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/54, द्वारा
 - (7) 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/64, द्वारा
 - (8) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th March, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/128.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely,—

- 1. These regulations maybe called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2023.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, -
 - I. In regulation 3,
 - i. in sub-regulation (2),

- a. afterthewords"Form"andbeforethewords"specified by the Government or the Board from time to time",thewords"and manner"shall be inserted.
- b. after the words "Part A of the Second Schedule", the words "and any documents in the manner specified by the Board from time to time" shall be inserted.

II. In regulation 22,

- in sub-regulation (1), in clause (b), the word "forthwith" shall be substituted with the words and symbol "as soon as possible but not later thanseven working days,".
- ii. in sub-regulation (1), clause (c) shall be substituted with the following, namely,"(c) as soon as possible but not later thanseven working days, inform the Board and
 designated depository participant in writing, if there is any material change in the
 information including any direct or indirect change in its structure or ownership or
 control or investor grouppreviously furnished by him to the Board or designated
 depository participant:"
- iii. in sub-regulation (1), in clause (e), the word "forthwith" shall be substituted with the words and symbol "as soon as possible but not later thanseven working days,".
- iv. in sub-regulation (1), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely, "(1) ensure that accurate details regarding its investor group are maintained with its
 designated depository participant at all times."
- v. sub-regulation (5) shall be substituted with the following namely,"(5) In case of any direct or indirect change in structure or common ownership or control of
 the foreign portfolio investor or investor group, it shall, as soon as possible but not later
 thanseven working days, bring the same to the notice of its designated depository
 participant."

III. In regulation 31, in sub-regulation (1)

- i. in clause (b), the word "forthwith" shall be substituted with the words "as soon as possible but not later thantwo working days".
- ii. in clause (c), the word "forthwith" shall be substituted with the words and symbol "as soon as possible but not later thantwo working days,".
- iii. in clause (g), the word "forthwith" shall be substituted with the words "as soon as possible but not later thantwo working days,".

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./697/2022-23]

Footnote:

- The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36).
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on
 - (1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.
 - (2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.
 - (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI.LAD-NRO/GN/2021/32.
 - (6) 26th October, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI.LAD-NRO/GN/2021/54
 - (7) 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/64
 - (8) 9th November, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99.